सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार– I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:– 2022 / 54 दर्ज तिथिः– 01.07.2022

1. साजनसिंह पुत्र नेतराम जाति जाट निवासी ग्राम जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील व जिला चूरू (राज.)
.................प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र उमाराम जाति नाई निवासी ग्राम जोड़ी पट्टा लोहसना तह. व जिला चूरू (राज.)
2. सन्तराम पुत्र उमाराम जाति नाई निवासी ग्राम जोड़ी पट्टा लोहसना तह. व जिला चूरू (राज.)
3. ताराचन्द पुत्र सन्तराम उर्फ सन्तलाल जाति नाई ग्राम जोड़ी पट्टा लोहसना तह. व जिला चूरू (राज.)
4. गुमान कंवर पत्नी मगन सिंह जाति राजपूत निवासी महलाना दिखनादा तह. राजगढ़ जिला चूरू (राज.)
5. रूप कंवर पत्नी लख सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा लोहसना तह. व जिला चूरू(राज.)
6. राम सिंह पुत्र लख सिंह लख सिंह जाति राजपूत निवासी जोड़ी पट्टा लोहसना तह. व जिला चूरू (राज.)
7. चन्दनमल पुत्र हजारीमल जाति ब्राहमण निवासी जोड़ी पट्टा लोहसना तह. व जिला चूरू (राज.)
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

.... अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री शिवगौतम सोलंकी
अप्रार्थीगणः– एक तरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 26.11.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 483 / 159 / 0.3161 हैक्ट., खसरा संख्या 604 / 481 / 0.4426 हैक्ट., खसरा संख्या 605 / 481 / 0.1138 हैक्ट. व खसरा संख्या 606 / 481 / 5.4506 हैक्ट. वाके जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील चूरू में स्थित है। प्रार्थी व गौण अप्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी ...
2. प्रार्थी की एकल कृषि भूमि है ... खातेदारी में निर्बाद्ध रूप से चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

3. प्रार्थी साजनसिंह ने एक प्रा. पत्र दिनांक 01.04.2022 को सीमा ज्ञान बाबत दिया जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट कर प्रार्थी द्वारा सीमा ज्ञान शुल्क जमा करवा दिया गया जिस पर तहसीलदार कार्यालय चूरू द्वारा रिपोर्ट कर हल्का पटवारी ने दिनांक 13.04.2022 के आदेश के संदर्भ में उक्त कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाया और अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि उक्त भूमि मौके पर जरीब चलाकर उपस्थित खातेदारों को निशान देह की गई यह भूमि ग्राम जोड़ी पट्टा लोहसना से पूर्वी दिशा में स्थित है तथा यह भूमि मौके के अनुसार 20 बीघा 12 बिश्वा मौका तैयार किया गया है तथा उपस्थित लोगों को पढ़कर सुनाया गया तथा हस्ताक्षर भी करवाये गये जबकि प्रार्थी की भूमि 25 बीघा (6.3231 हैक्ट.) राजस्व रिकॉर्ड में है एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार भूमि मौके पर कम है। उक्त खसरे में सीमा ज्ञान के दौरान मुताबिक रिकॉर्ड के मौके पर रकबा कम है जिसके बाबत उक्त प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि का सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी के लिए यह प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जिसके साथ इस उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
4. उक्त कृषि भूमि की दक्षिण, पूर्व व पश्चिमी सींव पर प्रार्थी की कृषि भूमि है जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा क्षतिग्रस्त, क्षीण व जर्जर हालत में है जिसमें उक्त सींव स्पष्ट नहीं होने के कारण दोनों पक्षों के बीच सींव को लेकर प्रतिदिन झगड़ा फसाद होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है जो कि सीमा का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाये जिससे प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो सके।
5. प्रार्थी की ऊपर पैरा संख्या में वर्णित सींव को काटकर छिन्न भिन्न अस्पष्ट जर्जर हालत करने पर उतारू है इसलिए प्रार्थी के लिए यह जरूरी हो गया कि पुख्ता सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी उक्त कृषि भूमि की करवाई जाये। इसलिए यह उक्त विविध प्रार्थना–पत्र अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।
6. प्रार्थी एक सभ्य एवं भोला–भाला कृषक है मगर मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के बीच सींव की कृषि भूमि की सीमा नष्ट, व जर्जर व क्षीण हालत में है और खेत की सीमा को लेकर हर समय गम्भीर विवाद रहता है इसलिए प्रार्थी के लिए सीमा ज्ञान आवश्यक हो गया है कि खसरा संख्या 483/159/0.3161 हैक्ट., खसरा संख्या 604/481/0.4426 हैक्ट., खसरा संख्या 605/481/0.1138 हैक्ट. व खसरा संख्या 606/481/5.4506 हैक्ट. कुल किता 04 कुल तादादी 6.3231 हैक्ट. वाके जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने जिसके लिए यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत है।
7. प्रार्थी को जरूरी हो गया है कि वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहता है जिससे आगे भविष्य में आस–पड़ोसी से कोई भूमि सीमा ज्ञान संबंधित विवाद ना रहे।
8. सभी प्रक्रिया तहसीलदार के माध्यम से होनी है जिस कारण राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बतौर अप्रार्थीगण संख्या 08 बनाया गया है।
9. प्रार्थी पत्थरगढ़ी व सीमा ज्ञान के लिए निर्धारित फीस व खर्चा वहन करने के लिए तैयार है तथा जब भी अदालतवाला आदेश करेंगे तो आवश्यक फीस जमा करवा दी जावेगी।
10. विवादित कृषि भूमि न्यायालय के क्षेत्राधिकार के स्थित होने के कारण अदालतवाला को प्रार्थना–पत्र हाजा के श्रवणाधिकार प्राप्त है तथा प्रार्थना–पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।
11. अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज किये जावेंगे।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं खसरा संख्या 483/159/0.3161 हैक्ट., खसरा संख्या 604/481/0.4426 हैक्ट., खसरा संख्या 605/481/0.1138 हैक्ट. व खसरा संख्या 606/481/5.4506 हैक्ट. कुल किता 04 कुल तादादी 6.3231 हैक्ट. वाके

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील चूरू का सीमा ज्ञान करवाया जाकर सीमा का पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थरगढ़ी) करवाई जावे एवं प्रार्थी उचित शुल्क देने हेतु तैयार है।

12. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 पर विधिवत तामील के बावजूद इनकी ओर से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं आया। इसलिए इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार, चूरू भूमिधारी है।

13. न्यायालय द्वारा विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक सीमा ज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी के आदेश जारी करने का निवेदन किया है।

14. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

15. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:47 IST
Reason: SelfAttested

16. उक्त विधिक प्रावधानों के संदर्भ [illegible] जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2017) से स्थायी खसरा संख्या [illegible]/159/0.3161 हैक्ट., खसरा संख्या 604/481/0.4426 हैक्ट., खसरा संख्या 605/481/0.1138 हैक्ट. व खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

606/481/5.4506 हैक्ट. कुल किता 04 कुल तादादी 6.3231 हैक्ट. वाके जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील चूरू में राजस्व इन्द्राज एवं तहसीलदार चूरू द्वारा किये गये सीमांकन रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड वाके कस्बा चूरू के अंकित इन्द्राज के अनुसार उक्त आराजी प्रार्थी खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाइश से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि सीमा ज्ञान के दौरान उक्त खसरे की भूमि कम पाई गई। जिससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त वर्णित आराजी की खसरे की सीमाओं को लेकर अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद है। खसरा संख्या 483/159/0.3161 हैक्ट., खसरा संख्या 604/481/0.4426 हैक्ट., खसरा संख्या 605/481/0.1138 हैक्ट. व खसरा संख्या 606/481/5.4506 हैक्ट. कुल किता 04 कुल तादादी 6.3231 हैक्ट. वाके जोड़ी पट्टा लोहसना पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील चूरू का सही सीमा ज्ञान करवा कर पुख्ता चिन्ह (पत्थरगढ़ी) लगाने के लिए प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है। वह अपने खेत का पुख्ता सीमा ज्ञान (पत्थरगढ़ी) करवाना चाहती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की अपनी कब्जेशुदा खातेदारी आराजी की सुरक्षा तथा सीमा विवाद के निस्तारण हेतु पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि तहसीलदार चूरू खसरा संख्या 483/159/0.3161 हैक्ट., खसरा संख्या 604/481/0.4426 हैक्ट., खसरा संख्या 605/481/0.1138 हैक्ट. व खसरा संख्या 606/481/5.4506 हैक्ट. कुल किता 04 कुल तादादी 6.3231 हैक्ट. वाके जोड़ी पट्टा लोहसना तहसील चूरू पटवार हल्का जोड़ी पट्टा सात्यूं तहसील चूरू की नपती एवं सीमा ज्ञान हेतु प्रार्थी से नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाया जाकर सम्बन्धित पटवारी एवं भू—अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर मौके पर पुख्ता केन्द्र बिन्दु कायम करते हुए सीमा के समीप सभी खातेदारों की उपस्थिति में विधिवत सीमा ज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करावें। संबंधित पक्षकारों/हितधारकों की पूर्व सूचित उपस्थिति में खातेदारी आराजी पर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश तहसीलदार चूरू को दिये जाते हैं एवं साथ ही निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थीगण को मौके पर उपस्थित रहने बाबत जरिये नोटिस पूर्वसूचित करते हुए पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट न्यायालय को अवगत करायें। पक्षकार अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

आवेदक द्वारा यह उल्लेख किया गया कि उसकी कृषि भूमि, सीमा आबादी क्षेत्र से लगती है और वास्तविक सीमा स्पष्ट नहीं होने के कारण विवाद/अनिश्चितता उत्पन्न होने की स्थिति में सीधी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाकर प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में बेदखली का दावा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

आदेश प्रति पालनार्थ हेतु तहसीलदार चूरू को भिजवाई जावें। अहकाम पृथक से जारी किया जावे।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 26.11.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:17:47 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
चूरू